

30623

पत्रावली प्राप्त हुई, प्रकरण में उभयपक्ष
उपस्थित नहीं थे हे मजिस्ट्रेट प्रोड्यूसर
से दिनांक 21/8/23 को प्रेषित

2.8.23

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित प्रकरण
से पूर्व से विपक्षी सं 2 का सम्मन बाढ़ता मील
प्राप्त हुआ पत्रावली में पैरोकार तहसीलदार
फोरमल पक्ष कर होने से जवाब प्रा. पत्र पेश
नहीं करना चाहते हैं। विपक्षी सं 1.2 का जवाब
का अवसर अन्त किया जाता है। पत्रावली में उभय
पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्राधीण ने अपनी
बहस में निवेदन इस प्रकार से किया है कि प्राधीण
की मौजा अन्नदपुरा प. ह. काटून्दा की आ. सं.
191, 117, 118, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190 कुल कित्ता-13 कुल रकबा 31.5500
है। भूमि सह खाते दारी की हैं। प्रकरण में प्रस्तुत नकल
जमाबन्दी 2078 से 2078 के खाता सं. 31 व 15 में
प्राधीया भगवती के पति का नाम मांगीलाल सिंहा दर्ज
है। एव खाता सं. 15 में मांगीलाल पुत्र बरदा हिस्सा
3/32 दर्ज है। जिसको प्राधीण उक्त आराजियात
की जमाबन्दी रिकार्ड में मांगीलाल पिता बरदा की
जगह उदा लाल पिता बरदा किया जावे। प्रकरण में
प्राधीण द्वारा नकल भामा शाह कार्ड, नकल भगवती
देवी का आधार कार्ड व उदा लाल का आधार कार्ड एवं
ग्राम पंचायत काटून्दा के सरपंच एवं ग्राम विकास
द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिसमें स्व. उदा
लाल पिता बरदा जी गुर्जर एवं मांगीलाल पिता
बरदा जी गुर्जर दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं।
प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का हमारे द्वारा गहन

हैं प्राचीनका प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया
जाता है।

अतः प्राचीनका प्रा.पत्र अ.धा.1364-RA
का स्वीकार किया जाता है। मौजा आनन्दपुरा प.ह.
का दून्दा के खाता स. 31 व 15 में अंकित कृषि
आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में मांगीलाल पिता
बरदा के स्थान पर उदालाल पिता बरदा किये
जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति सह्यीदार
बंगू को यालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 2-8-2023 को लिखा
जाकर सरेई जलास सुनाया गया पत्रावली नैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो